(विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से सम्बद्ध)

सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान, मध्यप्रदेश

प्रान्तीय कार्यालयः 'प्रज्ञादीप' हर्षवर्धन नगर, भोपाल-४६२००३

दूरभाषः (0755) 2761225, ई-मेलः*vidyabhartibpl@gmail.com,*

www.vidyabhartimp.org

पंजीयन क्र.-17195

पत्र क्रमांक : 67/2021 दिनांक-18/06/2021

प्रति,

श्रीमान व्यवस्थापक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य
सरस्वती शिशु/विद्या मंदिर....................
मध्यभारत प्रान्त

बन्धुवर

सादर नमस्कार।

आशा है आप कुशलपूर्वक होंगे। जैसा पूर्व में सूचित किया गया था आप सभी 12ए/80जी के नवीनीकरण का कार्य कर रहे होंगे। इस संबंध में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना उचित रहेगाः-

1. ऐसे विद्यालय जो स्वतन्त्र समिति द्वारा संचालित हैं और उनका टर्नओवर मार्च 2021 में एक करोड़ से कम है उनको 12ए लेने की आवश्यकता नहीं है।

   यदि विद्यालय सी.एस.आर. या सांसद/विधायक कोष का पैसा लेना चाहता है तो उसके पास 12ए/80जी का होना अनिवार्य है। अतः ऐसे विद्यालय 12ए/80जी अवश्य नवीनीकरण भी करवाऐं एवं नया लेना हो तो वह भी ले लें।

2. CSR की राशि प्राप्त कर उपयोग करने हेतु समिति को कॉरपरेट मामले के मंत्रालय भारत सरकार में पंजीकरण करना होगा इस हेतु आप चार्टेड अकाउन्टेट/ कम्पनी सेक्रेटरी से सम्पर्क कर CSR-1 का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे।

3. ऐसी समितियां जो एक से अधिक विद्यालय संचालित करती है उन्हें 12ए/80जी अवश्य नवीनीकरण कराना चाहिए तथा नया लेना हो तो वह भी लेना चाहिए।

4. जिन विद्यालयों का टर्नओवर चार करोड़ तक है और पूर्व में 12ए/80जी है तो उनके लिए भी का 12ए/80जी का नवीनीकरण एच्छिक है।

5. ध्यान रहे कि सभी विद्यालयों को समय से रिटर्न भरना अनिवार्य है। रिटर्न भरने की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर 2021 है।

6. इस वर्ष के बजट में एक करोड़ की सीमा को बढ़ाकर पाँच करोड़ कर दिया गया है परन्तु अब यह सीमा समिति पर लागू होगी अर्थात यदि एक समिति एक से अधिक विद्यालय चलाती है तो सभी विद्यालयों का टर्नओवर जोड़कर पाँच करोड़ से कम होना चाहिए तभी धारा 10(23सी) (iiiad) की छूट मिलेगी।

7. ऐसी समिति जो कोई विद्यालय प्रत्यक्ष रूप से संचालित नही करती है उसे 12ए/80जी नवीनीकरण कराना या नया लेना अनिवार्य है।

यदि कोई विषय स्पष्ट न हो तो आप अपने सी.ए. से समझ सकते है।

शेष शुभ

भवदीय

(शिरोमणि दुबे)
प्रादेशिक सचिव

E:\P-19-20\Toli baithak 2019-20